"मेरा लक्ष्य - भ्रष्टाचार मुक्त भारत"

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है "वह कार्य जो प्रत्येक प्रकार से अनैतिक एवं अनुचित है" जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के सामान्य नियम के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु आचरण करने लगता है तो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है।

यद्यपि भारत सनातन काल से नैतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र रहा है। तथापि वर्तमान में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक न सिर्फ नैतिकता को चाट गई है वरन् यह राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास में भी मूल बाधक तत्व के रूप में उभर कर आई है।

स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भ्रष्टाचार की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का स्थान 94वां है। यह रिपोर्ट इंगित करती है कि अभी भारत को अपने विकास के मार्ग में इस मूल अवरोधक तत्व से निजात पाने के लिये लम्बी कवायद करनी पड़ेगी। डेनमार्क, फिनलैंड, नार्वे जैसे देश आज भी सर्वाधिक कम भ्रष्ट देशों में शुमार है।

इन देशों में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे उच्च आदर्शों को सार्वजनिक व्यवस्था में अपनाया गया है। भारत में भी यद्यपि इस संबंध में प्रयास जारी है, परन्तु अभी लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक लम्बा रास्ता तय करना शेष है।

आइये हम सबसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं कि कोई देश भ्रष्ट क्यों होता है? देश उसके नागरिकों से मिलकर बनता है। यद्यपि भ्रष्टाचार व्यक्ति विशेष के आचरण से सम्बन्ध रखता है, तथापि यदि यह किसी व्यवस्था में परम्परा के रूप में विकसित हो जाये तो यह वहां के नागरिकों के सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाता है और राष्ट्र की नींव निरन्तर कमजोर करती रहती है। भारत में भी कुछ इसी प्रकार की परम्परा ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। उपहार एवं दान के स्वरूप में रिश्वत घूसखोरी, भाई-भतीजावाद अपरिचित स्त्रोतों से प्राप्त चुनावी चंदे, टैक्स चोरी, समाज के नैतिक नियमों के विरुद्ध कार्यों, स्वार्थ एवं उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही, सरकारी कार्यों में अनावश्यक गोपनीयता, अशिक्षा, बेरोजगारी, जागरुकता की कमी, शिथिल नियम, नौकरशाही को संरक्षण आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनकी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में महती भूमिका है।

किन्तु, आज भारत तीसरी दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन कर उभरा है। आज अपने पैरों पर मज़बूती से खड़े भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने हेतु सरकार राजनीतिज्ञ प्रसिद्ध हस्तियां, एनजीओ., प्रशासनिक लॉबी, आदि समग्र रूप से प्रयासरत हैं। 2005 में लागू 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) इस सम्बन्ध में मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे पूर्व भी "सुशासन संकल्पना" ने बहुत हद तक व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने में सहयोग किया है। वर्तमान में यदि बात करें तो टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने बहुत हद तक प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता को लागू किया है। ई-टेंडरिंग, ई-बिडिंग, मोबाइल बैंकिंग (ऑनलाईन) आदि ने व्यवस्था से भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया है। इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी भूमिका 'फाइनेंशियल इंक्लूजन' अर्थात् 'वित्तीय समावेशन' की भी रही है। प्रत्येक नागरिक को बैंक खाता धारक बनाकर उन्हें वित्तीयन की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का आम लाभार्थी नागरिक बिचौलियों से मुक्त होकर अपने अतिरिक्त बहुत से कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं जो भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति देने हेतु नागरिकों के, विशेषतः प्रशासनिक कार्यशैली के

माइंडसेट को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। "लोकसेवा गारंटी अधिनियम" जैसे प्रयास इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो प्रशासन द्वारा समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने की बाध्यता पर आधारित संकल्पना है। इससे अनावश्यक विलम्ब, लालफीताशाही पर लगाम कसेगी और भ्रष्टाचार स्वतः हतोत्साहित होगा। 'डायरेक्ट ट्रांसफर बेनेफिट' की परिकल्पना भी इस सम्बन्ध में एक बेहतर कदम है। इसने बहुत हद तक मिडिलमैन लीकेज को रोक दिया है। और ग्रासरूट लेवल पर भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया है।

भारत समग्र रूप से निरंतर उस ओर बढ़ रहा है, जहाँ भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट, अनुचित, अनैतिक आचरण प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिकों के मांइडसेट से निकल जाये। ईमानदारी, पारदर्शी व्यवहार, जवाबदेहिता, स्वार्थ-मुक्त व्यवहार प्रशासनिक मशीनरी के मूल में समाहित हो सके। 'संकल्प से सिद्धि तक' जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रम इसका ताजा उदाहरण हैं।

बहरहाल! भारतीय राष्ट्र विभिन्न जीवन शैलियों, निरन्तर परिवर्तित होते सांस्कृतिक आदर्शों, आधुनिक एवं

पुरातन पद्धतियों के समागम एवं विभिन्न विचार धाराओं को आश्रय देने वाला राष्ट्र है। इतने विस्तृत स्पेक्ट्रम का भ्रष्टाचार से मुक्ति का लक्ष्य निसंदेह बहुत बड़ा है। परन्तु, भूतकाल में किये गये प्रयास और वर्तमान में चल रहे प्रयास निश्चित ही भविष्य में भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग में निरन्तर होता सुधार इसकी सबूत है। अंततः इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नितांत आवश्यक है कि भारत की युवा शक्ति इस सम्बन्ध में संकल्पित हो और भारत को विश्व नेतृत्व की ओर ले जाने वाले सामर्थ्य का प्रदर्शन करें !!

देशप्रेमी
ज्योति वर्मा
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सू० असिस्टे०
पी० के० के० लाइब्रेरी
आई० आई० टी० कानपुर
P.F. NO. 5584